राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. (ISSNIP) (06)\ILA\2014\ 166251-269 जयपुर, दिनांक 14.12.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिलाः अजमेर / अलवर / बारां / बाड़मेर / चित्तौडगढ / चूरू / दौसा
धौलपुर / डूँगरपुर / जयपुर / झुन्झनूं / जोधपुर / करौली / कोटा
राजसमन्द / स. माधोपुर / सिरोही / टोंक / उदयपुर।

विषयः– **ISSNIP परियोजना के तहत संवर्धित अभ्यास पद्धति (Incremental Learning Approach) के अन्तर्गत ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप–B.R.G.सदस्यों एवं मासिक सेक्टर बैठक में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनीयों के प्रशिक्षण बाबत।**

ISSNIP के अन्तर्गत ILA के तहत डिस्टिक्ट्र रिसोर्स ग्रुप (DRG) का मॉडयूल्स 7(N-3), 8(IF-2) एवं 9(IF-3) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम केयर एवं विश्व बैंक द्वारा प्रशिक्षित किये गये मास्टर्स ट्रेनर्स (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) द्वारा दिनांक 19 से 22 दिसम्बर, 2016 के मध्य जयपुर में सम्पन्न किया जाना है। ISSNIP परियोजना की ILA गतिविधि के संचालन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन प्रशिक्षित DRG सदस्यों द्वारा अपने जिलें के ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप–B.R.G.सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त मॉडयूल्स पर चरणबद्व तरीके (प्रत्येक माह में एक मॉडयूल) से आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षित बी.आर.जी. सदस्यों द्वारा मासिक सेक्टर बैठक में सम्बन्धित आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगनीओं को उपरोक्त मॉडयूल्स पर प्रशिक्षित किया जायेगा। B.R.G. एवं मासिक सेक्टर बैठक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार किये जाने हैं :–

क्र.सं	मॉडयूल्स एवं विषय	बी.आर.जी प्रशिक्षण दिनांक	सेक्टर बैठक हेतु प्रशिक्षण दिनांक
1.	7(N-3) – कमजोर नवजात शिशु की देखभाल।	23 से 27 दिसम्बर, 2016 के मध्य	बी.आर.जी.ट्रेनिंग के तुरन्त बाद आयोजित सेक्टर मीटिंग में।
2.	8(IF-2) – केवल स्तनपान सुनिश्चित करना।	23 से 27 जनवरी, 2017 के मध्य	
3.	9(IF-3) – ऊपरी आहार – भोजन में विविधता।	20 से 25 फरवरी, 2017 के मध्य	

ज्ञात रहे की एक बैच में अधिकतम 35–40 प्रशिक्षणार्थियों / प्रतिभागियों को ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर समानान्तर अलग–अलग बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायगे।

(अ). बी.आर.जी. प्रशिक्षण हेतु मदवार बजट का विवरण –

जिला स्तर पर एक दिवसीय बीआरजी प्रशिक्षण – 40 प्रतिभागी			
मद	इकाई लागत	संख्या	धनराशि (रु.)
भोजन (चाय, नाश्ता, भोजन) प्रति व्यक्ति	150	40	6000
स्टेशनरी प्रति व्यक्ति	100	40	4000
प्रशिक्षण हेतु व्यय– प्रशिक्षण हॉल, एल.सी.डी प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, माईक, फोटोग्राफी इत्यादि	6000	1	6000
डीआरजी रिसोर्स पर्सन का मानदेय (प्रति सत्र / कालांश)	600	4	2400
डीआरजी रिसोर्स पर्सन हेतु स्थानीय टीए	200	2	400
बीआरजी प्रशिक्षण में सम्मिलित उन प्रतिभागियों के लिए कुल स्थानीय टीए जो सरकारी कार्मिक नहीं हैं। (टीए वास्तविक दर पर ही देय होगा)			2000
प्रति प्रशिक्षण कुल व्यय (40 प्रतिभागियों पर)			**20800**
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम प्रशिक्षण व्यय (40 प्रतिभागी प्रति प्रशिक्षणपर)			**520**

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939

आपके जिलों में उक्त दर के अनुसार बजट मद 2236–02–101–01–29 प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन में निम्नानुसार बजट हस्तान्तरित किया जा रहा है:–

क्र.सं	जिला	ब्लॉक / परियोजना की संख्या	बीआरजी सदस्यों की संख्या (अनुमानतः 6 सदस्य प्रति ब्लॉक / परियोजना)	प्रशिक्षण बैच हेतु हस्तान्तरित धन राशि (रु.) में
1.	अजमेर	11	66	68640
2.	अलवर	15	90	93600
3.	बारां	8	48	49920
4.	बाड़मेर	16	96	99840
5.	चित्तौडगढ़	12	72	74880
6.	चूरू	9	54	56160
7.	दौसा	7	42	43680
8.	धौलपुर	5	30	31200
9.	डूँगरपुर	8	48	49920
10.	जयपुर	20	120	124800
11.	झुन्झुनु	9	54	56160
12.	जोधपुर	11	66	68640
13.	करौली	6	36	37440
14.	कोटा	6	36	37440
15.	राजसमन्द	8	48	49920
16.	स. माधोपुर	7	42	43680
17.	सिरोही	6	36	37440
18.	टोंक	7	42	43680
19.	उदयपुर	14	84	87360
			कुल योग –	**1154400**

(ब). सेक्टर मीटिंग के दौरान महिला पर्यवेक्षक को अपने सेक्टर की सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनीयों को आईएलए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिये जाने बाबत् राशि रूपये 500/– पुर्नभरण के आधार पर देय होगें। महिला पर्यवेक्षक द्वारा व्यय की गई राशि के पुर्नभरण हेतु प्रमाणित बिल सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित किये जायेगें। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी उपरोक्तों बिलों की जांच करने के पश्चात् ISSNIP परियोजना अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि से भुगतान महिला पर्यवेक्षक को करेगें।

अतः सभी सम्बन्धित उप निदेशकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी बी.आर.जी. सदस्यों एवं सेक्टर मीटिंग के दौरान सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनीयों की उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान किसी भी कार्मिक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पूर्वानुमति के बिना अवकाश देय नहीं होगा। अति–आवश्यक स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत कराया जाये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण रिपोर्ट 5 दिवस में संलग्न प्रपत्र में आवश्यक रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवायेगें। महिला पर्यवेक्षक सामुदायिक कार्यक्रम की रिपोर्ट के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट भी उचित माध्यम (Thrugh Proper Channel) से भेजा जाना सुनिश्चित करें। उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रशिक्षण रिपोर्ट को समानुक्रमित(Collate) करते हुए संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं डॉ. धर्मवीर, संयुक्त परियोजना समन्वयक **ISSNIP(e-mail-issnipraj2@gmail.com)** को आवश्यक रूप से अवगत

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939

करवाया जावे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप **डॉ. धर्मवीर, संयुक्त परियोजना समन्वयक, ISSNIP (मो. 7597648847, –0141–2713638)** से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय RTPP Act-2012 एवं Rule–2013 के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकेगा। वित्तीय एवं लेखा नियमों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करते हुए ही नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

DLI प्रमाणन(Verification)हेतु इन रिपोटिंग फार्मेट एवं अन्य रिकॉर्डों का निर्धारित प्रारूप/प्रपत्रों में प्रत्येक स्तर पर उचित संधारण करवाना सुनिश्चित करावें। आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्व विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. (ISSNIP) (06)\ILA\2014\ 16670-680 जयपुर, दिनांक 14.12.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. परियोजना निदेशक(ISSNIP), महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर–सम्बन्धित जिले को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बन्धित जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोगनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को उपरोक्त अनुसार जिला कार्यालयों को बजट आवंटन करने बाबत।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–सम्बन्धित जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोगनार्थ।
7. उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. डॉ. आदेश चतुर्वेदी/अरविन्द सिंघल, वर्ल्ड बैंक, राजस्थान।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम्बन्धित समस्त।
10. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार)
संयुक्त परियोजना समन्वयक–I
ISSNIP